राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक : एफ.7(5)वित्त/एसपीएफसी/सामान्य/2013 दिनांक 25.6.2020

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उनके द्वारा किये जा रहे उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना का आकार अनावश्यक रूप से काफी विस्तृत एवं बड़ा होता है जबकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43 के अन्तर्गत संक्षिप्त नोटिस के प्रकाशन का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

43. बोली आमंत्रित करने वाली सूचना.- (1) उपापन संस्था खुली प्रतियोगी बोली और द्वि प्रक्रमी बोली में बोलियों की, या जहां लागू हो, पूर्व-अर्हता के लिए आवेदन की अभ्यर्थना बोली या, यथास्थिति, पूर्व-अर्हता के आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाइट, यदि उपलब्ध हो, पर करके करेगी। इस नियम के उप-नियम (6) और (7) में यथा-विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार पत्रों में एक संक्षिप्त नोटिस भी प्रकाशित किया जायेगा।

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस संक्षिप्त होना चाहिए। उपापन की एक से अधिक विषय-वस्तु के लिए बोली यथा-संभव एक नोटिस में प्रकाशित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार उपापन संस्था के स्तर पर बोली आमंत्रण सूचना के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त नोटिस के प्रकाशन के बाबत् प्रावधान सुस्पष्ट रूप से निर्धारित है। परन्तु अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना का प्रारूप आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 43 के प्रावधानों के अनुसार संक्षिप्त (Abridged) रखें। इस हेतु Templateकी प्रति संलग्न है।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

25/06/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

E:\Letter 2020.docx

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव / समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव / सचिवालय के समस्त अनुभाग / विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. समस्त वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी।
14. समस्त कोषाधिकारी।
15. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

<u>Template</u>

....(Name of Procuring Entity)

F. ( )/ Date :

Notice Inviting Bid

Bids for............................(Name(s) of subject matter(s) of Procurement) are invited from interested bidders upto...........(time) ....(date). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state; and ....departmental website.

UBN ....

(Designation of Bid Inviting Officer)